2 CF

नकल आदेश दिनांक 3-5-19 न्यायालय उप जिलाधिकारी सदर जौनपुर (वाद संख्या T201914360502257 धारा 80 राजस्व संहिता [illegible] [illegible] तहसील सदर जिला जौनपुर श्री [illegible] प्रतिलिपि एवं स्टाम्प [illegible] [illegible] दि० 3-5-19

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :वाराणसी,जनपद :जौनपुर,तहसील :सदर
वाद सख्या :-02257/2019
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या :-T201914360402257
माँ वैष्णवी शिक्षण एव समाज कल्याण ट्रस्ट बनाम् सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

निर्णय

मॉ वैष्णवी शिक्षण एवं समाज कल्याण ट्रस्ट करंजाकलॉ जौनपुर जरिये प्रबन्धक रामानन्द पुत्र श्रीराम निवासी ग्राम करंजाकलॉ, परगना हवेली, तहसील सदर, जिला जौनपुर ने आराजी संख्या 648/0.173 हे0 स्थित मौजा हमजापुर, परगना हवेली, तहसील सदर, जिला जौनपुर के बावत धारा 80 उ0प्र0 राजस्व संहिता के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रश्नगत प्रार्थना पत्र के आलोक में तहसील से हलका लेखपाल/राजस्व निरीक्षक/तहसीलदार सदर की जाँच आख्या क्रमशः दिनांक 19.03.2019/19.03.2019/01.04.2019 नियत प्रारूप पर प्राप्त होकर संलग्न पत्रावली है। हलका लेखपाल/राजस्व निरीक्षक/तहसीलदार सदर ने इस आशय की जाँच आख्या प्रेषित किया है कि ग्राम हमजापुर, परगना हवेली, तहसील सदर, जिला जौनपुर के अभिलेख चकबन्दी आकार पत्र 23(1) के खाता सं0 613 पर अंकित आराजी नं0 648/0.173 हे0 मॉ वैष्णवी शिक्षण एवं समाज कल्याण ट्रस्ट करंजाकलॉ जौनपुर जरिये प्रबन्धक रामानन्द पुत्र श्रीराम नि0ग्राम के नाम अंकित है। स्थल पर आराजी नं0 648/0.173 हे0 भूमि मौके पर कृषि प्रयोजन से भिन्न प्रयोग की जा रही है। आराजी नं0 648/0.173 हे0 कृषि से भिन्न अकृषिक घोषित किये जाने हेतु रिपोर्ट प्रेषित की गयी है। प्रकरण व्यवसायिक होने के कारण प्रार्थी द्वारा सर्किल रेट के मुताबिक 1 प्रतिशत उदघोषणा शुल्क (भारतीय स्टेट बैंक शाखा जौनपुर में जमाकोष करके चालान की मूल प्रति) तथा उतनी ही धनराशि का न्याय शुल्क भारतीय कोर्ट फी स्टैम्प पेपर प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में हलका लेखपाल/राजस्व निरीक्षक/तहसीलदार सदर की जाँच आख्या क्रमशः दिनांक 19.03.2019/19.03.2019/01.04.2019 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः आदेश हुआ कि मौजा हमजापुर, परगना हवेली, तहसील सदर, जिला जौनपुर की आराजी नं0 648/0.173 हे0 का मालगुजारी मुताबिक 60–ख कृषि से भिन्न प्रयोजन में प्रयुक्त होना घोषित किया जाता है। आदेश की एक प्रति तहसीलदार सदर एवं उपनिबंधक सदर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली संचित अभिलेखागार हो।

03/04/19

(मंगलेश दूबे)
उप जिलाधिकारी
सदर–जौनपुर।

394
3-4-19
4-4-19
4-4-19

सत्य प्रतिलिपि
रीडर/पेशकार
उप जिलाधिकारी
सदर - जौनपुर
4-4-19

5 रु. कोर्ट फी Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

2 रु. कोर्ट फी Rs.2 COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

2 [illegible]
/ [illegible]

नकल [illegible] 3-4-19 [illegible]
[illegible] 22.58 [illegible]
मौजा [illegible]
सहित [illegible] 12/01 [illegible]
[illegible]
ता० 3-4-19

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :वाराणसी,जनपद :जौनपुर,तहसील :सदर
वाद संख्या :-02258/2019
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T201914360402258
माँ वैष्णवी शिक्षण एवं समाज कल्याण ट्रस्ट बनाम सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

निर्णय

मॉं वैष्णवी शिक्षण एवं समाज कल्याण ट्रस्ट करंजाकलॉं जौनपुर जरिये प्रबन्धक रामानन्द पुत्र श्रीराम निवासी ग्राम करंजाकलॉं, परगना हवेली, तहसील सदर, जिला जौनपुर ने आराजी संख्या 35/0.074, 87/0.084, 224/1.123 हे0 में से 281 हे0 व 681मि0/0.085, 681मि0/0.120 हे0 में से 0.100 हे0 स्थित मौजा करंजाकलॉं, परगना हवेली, तहसील सदर, जिला जौनपुर के बावत धारा 80 उ0प्र0 राजस्व संहिता के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रश्नगत प्रार्थना पत्र के आलोक में तहसील से हलका लेखपाल/राजस्व निरीक्षक/नायब तहसीलदार/तहसीलदार सदर की जॉंच आख्या क्रमशः दिनांक 10.03.2019/12.03.2019/18.03.2019/19.03.2019 नियत प्रारूप पर प्राप्त होकर संलग्न पत्रावली है। हलका लेखपाल/राजस्व निरीक्षक/नायब तहसीलदार/तहसीलदार सदर ने इस आशय की जॉंच आख्या प्रेषित किया है कि ग्राम करंजाकलॉं, परगना हवेली, तहसील सदर, जिला जौनपुर के अभिलेखीय खतौनी वर्ष 1423–1428फ0 की खाता सं0 380, 235, 215, 217 पर अंकित आराजी नं0 35/0.074, 87/0.084, 224मि0/0.281 हे0 व 681/0.100 हे0 मॉं वैष्णवी शिक्षण एवं समाज कल्याण ट्रस्ट करंजाकलॉं जौनपुर जरिये प्रबन्धक रामानन्द पुत्र श्रीराम नि0ग्राम के नाम अंकित है। स्थल पर आराजी नं0 35/0.074, 87/0.084, 224मि0/0.281 हे0 कृषि से भिन्न प्रयोग की जा रही है तथा आराजी नं0 681/00.100 हे0 मौके पर भवन बना है। आराजी नं0 35/0.074, 87/0.084, 224मि0/0.281 हे0 व 681/0.100 हे0 कृषि से भिन्न अकृषिक घोषित किये जाने हेतु रिपोर्ट प्रेषित की गयी है। सहखातेदार द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि आराजी नं0 35/0.074, 87/0.084, 224मि0/0.281 हे0 व 681/0.100 हे0 अकृषिक घोषित किये जाने में हमे कोई आपत्ति नही है। प्रकरण व्यवसायिक होने के कारण प्रार्थी द्वारा सर्किल रेट के मुताबिक 1 प्रतिशत उदघोषणा शुल्क (भारतीय स्टेट बैंक शाखा जौनपुर में जमाकोष करके चालान की मूल प्रति) तथा उतनी ही धनराशि का न्याय शुल्क भारतीय कोर्ट फी स्टैम्प पेपर प्रस्तुत किया गया है। ऐसी दशा में हलका लेखपाल/राजस्व निरीक्षक/नायब तहसीलदार/तहसीलदार सदर की जॉंच आख्या क्रमशः दिनांक 10.03.2019/12.03.2019/18.03.2019/19.03.2019 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः आदेश हुआ कि मौजा करंजाकलॉं, परगना हवेली, तहसील सदर, जिला जौनपुर की आराजी नं0 35/0.074, 87/0.084, 224मि0/0.281 हे0 व 681/0.100 हे0 का मालगुजारी मुताबिक 60–ख कृषि से भिन्न प्रयोजन में प्रयुक्त होना घोषित किया जाता है। आदेश की एक प्रति तहसीलदार सदर एवं उपनिबंधक सदर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली संचित अभिलेखागार हो।

03/04/19

(मंगलेश दूबे)
उप जिलाधिकारी
सदर–जौनपुर।

सत्य प्रतिलिपि
4-4-19

5 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.5 पाँच रुपये FIVE RUPEES

2 रु. कोर्ट फी Rs.2 TWO RUPEES

२ ह०

नकल आदेश दिनांक 3.5.19 न्यायालय
उप जिलाधिकारी सदर जौनपुर वाद सं.
T201915360410225 धारा 80 राजस्व
मौजा [illegible] परगना हवेली तहसील सदर (ज०)
जिला जौनपुर में [illegible] 126 [illegible], एवं
समाज कल्याण ट्रस्ट बनाम सरकार
ता० 3-5-19

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :वाराणसी,जनपद :जौनपुर,तहसील :सदर
वाद सख्या :-02256/2019
कंप्यूटरीकृत वाद सख्या :-T201914360402256
माँ वैष्णवी शिक्षण एवं समाज कल्याण ट्रस्ट बनाम सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

निर्णय

मॉ वैष्णवी शिक्षण एवं समाज कल्याण ट्रस्ट करंजाकलॉ जौनपुर जरिये प्रबन्धक रामानन्द पुत्र श्रीराम निवासी ग्राम करंजाकलॉ, परगना हवेली, तहसील सदर, जिला जौनपुर ने आराजी संख्या 557/0.471 हे0 में से 0.157 हे0 स्थित मौजा जेठपुरा, परगना हवेली, तहसील सदर, जिला जौनपुर के बावत धारा 80 उ0प्र0 राजस्व संहिता के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रश्नगत प्रार्थना पत्र के आलोक में तहसील से हलका लेखपाल/राजस्व निरीक्षक/नायब तहसीलदार/तहसीलदार सदर की जाँच आख्या दिनांक 19.03.2019 नियत प्रारूप पर प्राप्त होकर संलग्न पत्रावली है। हलका लेखपाल/राजस्व निरीक्षक/नायब तहसीलदार/तहसीलदार सदर ने इस आशय की जाँच आख्या प्रेषित किया है कि ग्राम जेठपुरा, परगना हवेली, तहसील सदर, जिला जौनपुर के अभिलेख चकबन्दी आकार पत्र 23(1) के खाता सं0 141 पर अंकित आराजी नं0 557मि0 रकबा 0.471 हे0 में से 1/3 भाग यानी 0.157 हे0 मॉ वैष्णवी शिक्षण एवं समाज कल्याण ट्रस्ट करंजाकलॉ जौनपुर जरिये प्रबन्धक रामानन्द पुत्र श्रीराम नि0ग्राम के नाम अंकित है। स्थल पर आराजी नं0 557मि0 रकबा 0.471 हे0 में से 1/3 भाग यानी 0.157 हे0 भूमि मौके पर कृषि प्रयोजन से भिन्न प्रयोग की जा रही है। आराजी नं0 557मि0 रकबा 0.471 हे0 में से 1/3 भाग यानी 0.157 हे0 कृषि से भिन्न अकृषिक घोषित किये जाने हेतु रिपोर्ट प्रेषित की गयी है। सहखातेदार द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि आराजी नं0 557मि0 रकबा 0.471 हे0 में से 1/3 भाग यानी 0.157 हे0 अकृषिक घोषित किये जाने में हमे कोई आपत्ति नही है। प्रकरण व्यवसायिक होने के कारण प्रार्थी द्वारा सर्किल रेट के मुताबिक 1 प्रतिशत उद्घोषणा शुल्क (भारतीय स्टेट बैंक शाखा जौनपुर में जमाकोष करके चालान की मूल प्रति) तथा उतनी ही धनराशि का न्याय शुल्क भारतीय कोर्ट फी स्टैम्प पेपर प्रस्तुत किया गया है। ऐसी दशा में हलका लेखपाल/राजस्व निरीक्षक/नायब तहसीलदार/तहसीलदार सदर की जाँच आख्या दिनांक 19.03.2019 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः आदेश हुआ कि मौजा जेठपुरा, परगना हवेली, तहसील सदर, जिला जौनपुर की आराजी नं0 557मि0 रकबा 0.471 हे0 में से 1/3 भाग यानी 0.157 हे0 का मालगुजारी मुताबिक 60–ख कृषि से भिन्न प्रयोजन में प्रयुक्त होना घोषित किया जाता है। आदेश की एक प्रति तहसीलदार सदर एवं उपनिबंधक सदर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली संचित अभिलेखागार हो।

03/04/19

(मंगलेश दूबे)
उप जिलाधिकारी
सदर–जौनपुर।

प्रतिलिपि

रीडर/पेशकार
उप जिलाधिकारी
सदर, जौनपुर
4-4-19